12.05. hrs.

Title: Regarding patent on Basmati ricelines and grains to Ricetec Inc. USA.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 अगस्त, 2001 को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर माननीय सदस्यों और अन्य व्यक्तियों में यह आभास कराया गया है कि एक अमेरिकी फर्म ने बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त कर लिया है और इस कार्रवाई से भारत के बासमती चावल के व्यापार/निर्यातों के संबंध में बुरा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी आभार कराया गया है कि भारत उक्त पेटेंट में संशोधन किए जाने हेतु संयुक्त राज्य पेटेंट तथा ट्रेड मार्क कार्यालये(यू.एस.पी.टी.ओ.) के सम्मुख अपना मामला "हार" गया है।

प्रारंभिक रूप में मैं सदन को निश्चित रूप से सूचित करना चाहूंगा कि ये रिपोर्टें गलत हैं और ये गलत धारणा पर आधारित हैं। वास्तव में उक्त पेटेंट के संबंध में यू.एस.पी.टी.ओ. का निर्णय भारत के लिए एक विजय का संकेत देता है। माननीय सदस्यों ने दिनांक 22 अगस्त, 2001 की बाद में छपी प्रेस रिपोर्टों को भी पढ़ा होगा, जिन्होंने पूर्व के भ्रांतिपूर्ण प्रभाव को ठीक कर दिया है। इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है:

- बासमती राइस लाइन्स और खाद्यान्नों पर एक पेटेंट 2 सितम्बर, 1997 को यू.एस.पी.टी.ओ. द्वारा मै. राइस टैक इंक., यू.एस.ए. को प्रदान किया गया था। इसके लिए एक आवेदन 8 जुलाई, 1994 को दायर किया गया था। पेटेंट पर 20 क्लेम थे।

- यू.एस.पी.टी.ओ. के हाल ही में निर्णय के बाद, 15 क्लेमों को पहले ही रद्द कर दिया गया है और शेा 5 क्लेम भारत में उत्पादित बासमती की किस्मों को प्रभावित नहीं करते हैं और ये भारत के व्यापार/निर्यातों पर प्रभाव नहीं डालेंगे। वास्तव में पेटेंट का शीर्क जो " बासमती राइसलाइन्स और ग्रेन्स " था, भी बदलकर अब "राइसलाइन्स बास 867 आर.टी. 1117 तथा आर.टी. 1121" कर दिया गया है। अतः अमेरिकी कंपनी इन तीन राइसलाइनों पर पेटेंट तक ही सीमित है, जो कि इसने विकसित किए हैं,
- उक्त पेटेंट की मंजूरी से आमतौर पर भारत के निर्यातों को और खासतौर पर यू.एस.ए. को किये जाने वाले निर्यातों को प्रभावित नहीं किया है। वास्तव में, बासमती चावल का कुल निर्यात पिछले र्वा के 1780.34 करोड़ रूपये की तुलना में 2000-01 में 2141.94 करोड़ रूपये का निर्यात 2000-2001 में बढ़ाकर 129.34 करोड़ रूपये की राशि का हो गया है। र्वा 1998-99 की तुलना में अमेरीका को बासमती चावल के निर्यात में छः गुना वृद्धि हुई है।
- र्वा 1997 में जब यह पेटेंट प्रदान किया गया था तब भारत सरकार ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा माना था, चूंकि भारत व्यापक मात्रा में बासमती का निर्यात करता है और पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि यू.एस.पी.टी.ओ. के समक्ष इस पेटेंट को चुनौती देने के लिए कदम उठाये जायें।
- व्यापक अंतर्मंत्रालीय परामर्शों और तकनीकी तथा कानूनी विशेाज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसरण में यू.एस.पी.टी.ओ. में एक याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया ताकि उन क्लेमों को चुनौती दी जा सके जिनके परिणामस्वरूप हमें यू.एस.ए. को बासमती का निर्यात करना मुश्किल हो सकता था। यह चुनौती दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को दायर की गयी थी।
- सितम्बर, 2000 में, मैसर्स राइसटेक ने भारत के लिए आपत्तिजनक तीन क्लेमों और क्लेमों का भी अभ्यपर्ण किया। यू.एस.पी.टी.ओ. के निरीक्षक ने शेा सभी क्लेमों की पुनः जांच करने के लिए राइसटेक को एक नोटिस भी जारी किया। इसके अनुसरण में यू.एस.पी.टी.ओ. के 14 अगस्त, 2001 के हाल ही के निर्णय द्वारा 11 और क्लेमों को हटा दिया गया है।
- शेा दावे 8,9,,11,12 और 13 राइसटैक द्वारा विकसित की गयी चावल की तीन विशिट किस्मों (राइस लाइन्स) से संबंधित हैं और उन्हें भारत द्वारा विशिट रूप से कभी भी चुनौती नहीं दी गयी, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं था।

- दिसम्बर, 1995 में एक बासमती विकास निधि की स्थापना की गयी थी और नवम्बर, 1996 से एक निगरानी एजेंसी को नियुक्त किया गया था ताकि बासमती चावल अथवा इसके परिवर्तित रूपों के लिए नये व्यापार चिन्हों (ट्रेड मार्क) के प्रयोग पर विश्व भर में नजर रखी जा सके। इस निगरानी एजेंसी ने ऐसे पंजीकरण करवाने के अनेक प्रयासों की पहचान की है, जिनमें से 15 को यू.के., आस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, चिली, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में सफलतापूर्वक चुनौती दी गयी है और निर्णय हमारे पक्ष में हुआ है। पंजीकरण के प्रयासों के शेा मामलों में कृाि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) द्वारा अन्य देशों में प्रभावी रूप में कार्यवाही की जा रही है।

निर्कातः यह उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे के संबंध में प्रस्तुत की गयी खबरें और व्यक्त की गयी शंकाएं निराधार और गलत थीं।

(Plased in Library. See. No. Lt. 4039/2001)

MR. SPEAKER: Normally, there is no practice like that after the Statement. If you want, you can have a separate discussion on this, but not now, please....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: If you want, you can give a notice. We can have Half-an-Hour discussion on this....(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के वक्तव्य पर व्यवस्था दी गई थी कि आप इसे लेंगे।â€¦(व्यवधान)

श्री चन्द्र नाथ सिंह (मछलीशहर) : यह आज ही लिया जाए।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं? क्या चेयर को डायरेक्शन देना आपका काम है?â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: This is too much, Shri C.N. Singh....(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको नियमों के बारे में मालूम नहीं है तो पूछ लें।